The Chitransh Academic & Research
An International Journal of Multidisciplinary Research
An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume1 | Issue 4 | September 2025
ISSN: 3049-303X (Online)
Website: www.thechitranshacadmic.in

नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन की भूमिका: बिहार के गया जिले का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

अर्चिता कुमारी
शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, गया, बिहार, भारत
डॉ. सुनील कुमार
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, एस.एन. सिन्हा कॉलेज, जहानाबाद, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार, भारत

लेख विवरण

शोधपत्र

प्राप्ति तिथि: 17/09/2025
स्वीकृति तिथि: 25/09/2025
प्रकाशनतिथि: 30/09/2025

मुख्य शब्द : गरीबी उन्मूलन, नया 20 सूत्री कार्यक्रम, मनरेगा, रोजगार, आजीविका।

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन बिहार के गय जिले के संदर्भ में नए 20 सूत्री कार्यक्रम (TPP-2006) की गरीबी उन्मूलन में भूमिका का विश्लेषण करता है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि रोजगार और आजीविका से जुड़ी योजनाएँ, विशेषकर मनरेगा और आजीविका मिशन, जिले के गरीब परिवारों के लिए आय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन बनी हैं। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार की माँग में वृद्धि और सृजित मानव-दिवसों की संख्या में बढ़ोतरी यह संकेत देती है कि ग्रामीण परिवारों की निर्भरता इस योजना पर बढ़ी है। साथ ही, सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों और महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी से कार्यक्रम की समावेशी प्रकृति सामने आती है। वित्तीय आँकड़ों से यह भी पता चलता है कि उपलब्ध निधियों का उपयोग उच्च स्तर पर हुआ है, जिससे क्रियान्वयन की क्षमता में सुधार परिलक्षित होता है। हालांकि, 100 दिनों का रोजगार सीमित परिवारों तक ही पहुँच पाया है और बढ़ती जनसंख्या तथा गैर-कृषि रोजगार के सीमित अवसर जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। समग्र रूप से अध्ययन यह दर्शाता है कि नया 20 सूत्री कार्यक्रम गया जिले में गरीबी की तीव्रता को कम करने में सहायक रहा है, किंतु इसके प्रभाव को स्थायी बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन और निरंतर सुधार आवश्यक हैं।।

1.परिचय

भारत में गरीबी केवल आय की कमी का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह रोज़गार की अनिश्चितता, सीमित शैक्षिक अवसर, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और सामाजिक असमानता से जुड़ी हुई समस्या है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जहाँ आजीविका के साधन सीमित हैं और बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र पर निर्भर करती है। इसी कारण गरीबी उन्मूलन को लंबे समय से राष्ट्रीय विकास की एक प्रमुख प्राथमिकता माना जाता रहा है। गरीबी की इस जटिल प्रकृति को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि इसे केवल व्यक्तिगत प्रयासों या बाजार आधारित उपायों से दूर नहीं किया जा सकता। सरकार की सक्रिय भूमिका यहाँ आवश्यक हो जाती है, ताकि कमजोर वर्गों को न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा, रोजगार के अवसर और बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकें। इसी उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया गया है, जिनमें गरीबी को अलग-अलग स्तरों पर कम करने का प्रयास किया गया है। नया 20 सूत्री कार्यक्रम ऐसा ही एक प्रयास है, जो गरीबी उन्मूलन को रोजगार, आजीविका और सामाजिक कल्याण से जोड़कर देखता है।

बिहार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति इस संदर्भ में विशेष ध्यान आकर्षित करती है। राज्य की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और जीवनयापन के लिए मुख्यतः कृषि तथा उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर है। औद्योगिक विकास की सीमाएँ, कम आय स्तर और सामाजिक विषमताएँ यहाँ गरीबी को लंबे समय तक बनाए रखने वाले प्रमुख कारक रहे हैं। यद्यपि विकास के कुछ संकेत हाल के वर्षों में दिखाई दिए हैं, फिर भी गरीबी उन्मूलन की चुनौती अब भी बनी हुई है। गया जिला बिहार के ऐसे जिलों में से एक है जहाँ सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन अपेक्षाकृत अधिक रहा है। यहाँ रोजगार के अवसर सीमित हैं और बड़ी आबादी आज भी अस्थिर आजीविका पर निर्भर है।

प्रस्तुत अध्ययन बिहार में गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को नए 20 सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में समझने का एक प्रयास है, जिसमें गया जिले को विशेष रूप से अध्ययन का आधार बनाया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि जिले में गरीबी से संबंधित सरकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किस प्रकार हुआ है और रोजगार तथा आजीविका से जुड़ी पहलों ने गरीब परिवारों की जीवन स्थिति में कितना सुधार किया है, साथ ही कार्यक्रम के संचालन में आने वाली प्रमुख कठिनाइयों को भी चिन्हित करना है। यह अध्ययन विश्लेषणात्मक प्रकृति का है और इसमें प्राथमिक सर्वेक्षण के स्थान पर सरकारी स्तर पर उपलब्ध द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया है। आवश्यक सूचनाएँ नए 20 सूत्री कार्यक्रम (TPP-2006) के वार्षिक प्रतिवेदनों से प्राप्त की गई हैं और उनका

विश्लेषण विभिन्न वर्षों के तुलनात्मक अध्ययन तथा समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए प्रवृत्ति आधारित विधि से किया गया है।

2. नए 20 सूत्री कार्यक्रम (TPP-2006) की वैचारिक पृष्ठभूमि

भारत में गरीबी उन्मूलन का विचार योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया के साथ ही विकसित हुआ। स्वतंत्रता के बाद लागू की गई पंचवर्षीय योजनाओं का मूल उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक न्याय स्थापित करना था। प्रारंभिक पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि विकास और औद्योगीकरण पर अधिक ध्यान दिया गया, परंतु इससे यह स्पष्ट हो गया कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुँच पा रहा है। इसी पृष्ठभूमि में गरीबी को सीधे संबोधित करने वाले कार्यक्रमों की आवश्यकता महसूस की गई।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–79) के दौरान गरीबी, बेरोजगारी और असमानता जैसे मुद्दे राष्ट्रीय नीति के केंद्र में आए।[1] इसी अवधि में तत्कालीन केंद्र सरकार (इंदिरा गांधी के नेतृत्व में) ने वर्ष 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकास को “गरीब-मुखी” बनाना और यह सुनिश्चित करना था[2] कि सरकारी नीतियों का लाभ सीधे कमजोर और वंचित वर्गों तक पहुँचे। उस समय “गरीबी हटाओ” को केवल नारा नहीं, बल्कि नीति का आधार बनाने की कोशिश की गई। इसके बाद छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान यह अनुभव हुआ कि सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव के साथ कार्यक्रमों की संरचना में भी संशोधन आवश्यक है। इसी कारण 20 सूत्री कार्यक्रम को 1982 और 1986 में पुनर्गठित किया गया।[3] इन चरणों में रोजगार, न्यूनतम आवश्यकताओं और सामाजिक कल्याण से जुड़े पहलुओं को अधिक स्पष्ट रूप से शामिल किया गया। यह समय वह था जब सरकारें यह समझने लगी थीं कि गरीबी केवल आय की समस्या नहीं है, बल्कि जीवन स्तर से जुड़ा व्यापक प्रश्न है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) के दौरान गरीबी उन्मूलन को फिर से प्राथमिकता दी गई। इस अवधि में केंद्र सरकार के नेतृत्व में यह महसूस किया गया कि पहले के संस्करणों में योजनाओं का बिखराव और निगरानी की कमी रही है। इसी पृष्ठभूमि में वर्ष 2006 में 20 सूत्री कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया, जिसे नया 20 सूत्री कार्यक्रम (TPP-2006) कहा गया और इसे अप्रैल 2007 से लागू किया गया। इस पुनर्गठित स्वरूप का उद्देश्य कार्यक्रम को अधिक समेकित, निगरानी-योग्य और परिणाम-उन्मुख बनाना था।[4] TPP-2006 में गरीबी उन्मूलन को स्पष्ट रूप से केंद्रीय उद्देश्य के रूप में रखा गया। यह दर्शाने के लिए “गरीबी हटाओ” को पहला सूत्र बनाया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शेष सभी सूत्र प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गरीबी कम करने से जुड़े हैं। रोजगार सृजन, आजीविका के अवसर, खाद्य सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों को गरीबी उन्मूलन के

आवश्यक साधन के रूप में देखा गया। यह दृष्टिकोण पंचवर्षीय योजनाओं में विकसित उस सोच को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें समावेशी विकास पर बल दिया गया था।

नए 20 सूत्री कार्यक्रम की एक प्रमुख विशेषता इसकी समेकित संरचना है। इसके अंतर्गत 20 सूत्रों में कुल 65 मदों को शामिल किया गया है, जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं से संबंधित हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि पंचवर्षीय योजनाओं के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं को एक साझा निगरानी ढांचे में लाकर उनकी प्रगति और प्रभाव का समग्र मूल्यांकन किया जा सके। इस प्रकार TPP-2006 को पंचवर्षीय योजना प्रक्रिया का एक व्यावहारिक विस्तार माना जा सकता है, जिसका लक्ष्य गरीबी उन्मूलन को नीति और क्रियान्वयन—दोनों स्तरों पर मजबूत करना था।[5]

3. TPP- 2006 के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन

नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन की दिशा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की भूमिका बिहार में विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में बिहार में इस योजना के अंतर्गत 43.17 लाख परिवारों को जॉब कार्ड जारी किए गए। उपलब्ध आँकड़ों से पता चलता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य वर्गों के कुल 1.92 करोड़ से अधिक मानव-दिवस सृजित हुए, जिससे ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय का सहारा मिला। इससे यह स्पष्ट होता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ने अस्थायी ही सही, लेकिन बड़ी संख्या में परिवारों को आजीविका सुरक्षा प्रदान की है और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के दबाव को कुछ हद तक कम किया है।

वित्तीय दृष्टि से भी इस योजना का योगदान उल्लेखनीय रहा है। वर्ष 2022–23 में बिहार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कुल 5695.61 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। इस राशि का बड़ा हिस्सा अकुशल मजदूरी भुगतान पर खर्च हुआ, जिससे सीधे तौर पर ग्रामीण मजदूरों की आय में वृद्धि हुई। मजदूरी भुगतान के साथ-साथ सामग्री एवं प्रशासनिक व्यय ने ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और योजना के संचालन को भी समर्थन दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम न केवल रोजगार उपलब्ध कराने का माध्यम रहा है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सक्रिय रखने में भी सहायक सिद्ध हुआ है।

रोजगार के अतिरिक्त आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) ने भी गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 2022–23 के दौरान बिहार के

सभी 38 जिलों में 534 गहन ब्लॉकों के माध्यम से इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। इस अवधि में 1.18 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया और 10.23 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। इसके साथ-साथ ग्राम संगठन और क्लस्टर स्तरीय संघों का विस्तार भी किया गया, जिससे सामुदायिक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को संगठित रूप मिला।

स्वयं सहायता समूहों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। वर्ष 2022–23 में बिहार के लिए 4.64 लाख SHGs को ऋण से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि वास्तव में 5.73 लाख से अधिक SHGs को बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया। इस दौरान लगभग 6033 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई। यह उपलब्धि दर्शाती है कि स्वयं सहायता समूहों, विशेषकर महिलाओं के समूहों, को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिससे उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से अल्पकालिक रोजगार सुरक्षा और DAY-NRLM के अंतर्गत दीर्घकालिक आजीविका निर्माण दोनों ने मिलकर बिहार में गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को मजबूती प्रदान की है।[6]

4. गया जिले के अंतर्गत नए 20 सूत्री कार्यक्रम

गया जिला बिहार के प्रमुख जिलों में से एक है, जहाँ सामाजिक-आर्थिक संरचना पर जनसंख्या वृद्धि, कृषि पर निर्भरता और सीमित औद्योगिक विकास का गहरा प्रभाव रहा है। उपलब्ध जनसंख्या आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि गया जिले में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। 2001–2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 26.43 प्रतिशत रही, जबकि 2011 के बाद भी जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। अनुमानित आँकड़ों के अनुसार 2011 में जिले की जनसंख्या 43.91 लाख थी, जो 2021 में बढ़कर 51.88 लाख हो गई और 2041 तक इसके 65 लाख से अधिक होने का अनुमान है। यह बढ़ती जनसंख्या जिले पर रोजगार, संसाधनों और आजीविका के अवसरों का दबाव बढ़ाती है।[7]

तालिका 4.1: गया जिले की अनुमानित जनसंख्या

वर्ष	जनसंख्या
2011	43.91
2019	50.12
2021	51.88
2031	59.01
2041	65.23

स्रोत: बिहार जनसंख्या प्रक्षेपण आँकड़े

गया जिले में गरीबी की प्रकृति बहुआयामी है। यह केवल आय की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि भूमि की असमान उपलब्धता, मौसमी कृषि, सीमित गैर-कृषि रोजगार, तेज जनसंख्या वृद्धि और सामाजिक संरचना से भी जुड़ी हुई है। अनुसूचित जाति परिवारों की हिस्सेदारी अधिक होने के कारण सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन यहाँ अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के आँकड़े इस स्थिति को स्पष्ट करते हैं, जहाँ जॉब कार्डधारी परिवारों में अनुसूचित जाति परिवारों की हिस्सेदारी 2021-22 में 46.9 प्रतिशत थी, जो 2023-24 में घटकर 36.2 प्रतिशत हो गई, फिर भी यह अनुपात काफी ऊँचा बना हुआ है।

तालिका 4.2 :गया जिले में मनरेगा की प्रगति

वर्ष	जॉब कार्ड जारी किए गए परिवार (लाख)	जॉब कार्डधारी परिवारों में अनुसूचित जाति (%)	रोजगार की माँग करने वाले परिवारों (%)
2021–22	8.1	46.9	22.6
2022–23	8.0	38.9	43.9
2023–24	6.6	36.2	47.6

स्रोत: ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

TPP-2006 के अंतर्गत रोजगार और आजीविका कार्यक्रमों का गया जिले में स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 2021-22 से 2023-24 के बीच जॉब कार्ड प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या 8.1 लाख से घटकर 6.6 लाख हुई, लेकिन रोजगार की माँग करने वाले परिवारों का प्रतिशत इसी अवधि में 22.6 प्रतिशत से बढ़कर 47.6 प्रतिशत हो गया। यह तथ्य दर्शाता है कि रोजगार योजना पर निर्भरता बढ़ी है और ग्रामीण परिवारों के लिए यह योजना आय सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन बन गई है।[8]

तालिका 4.3: गया जिले में मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय प्रगति

वर्ष	उपलब्ध निधि	उपयोग की गई निधि	निधि उपयोग का प्रतिशत
2021–22	23,201.8	22,210.8	95.7
2022–23	43,493.0	42,678.4	98.1
2023–24	46,480.3	45,684.5	98.3

स्रोत: ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

रोजगार की गुणवत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो 100 दिनों का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों का प्रतिशत 2021-22 में बहुत कम (0.1 प्रतिशत) था, जो 2022-23 में बढ़कर 0.8 प्रतिशत हुआ, हालांकि 2023-24 में यह घटकर 0.5 प्रतिशत रह गया। वहीं दूसरी ओर, जिले में सृजित मानव-दिवसों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। 2021-22 में 45.4 लाख मानव-दिवस सृजित हुए, जो 2022-23 में बढ़कर 158.1 लाख हो गए और 2023-24 में भी 127.5 लाख मानव-दिवस सृजित हुए। इससे यह स्पष्ट होता है कि रोजगार की कुल उपलब्धता में सुधार हुआ है, भले ही 100 दिन का रोजगार सभी को समान रूप से न मिल पाया हो।

महिलाओं की भागीदारी भी रोजगार कार्यक्रमों में उल्लेखनीय रही है। कुल सृजित रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी 2021-22 में 53.6 प्रतिशत थी, जो 2022-23 में बढ़कर 58.2 प्रतिशत हुई और 2023-24 में 56.4 प्रतिशत बनी रही। यह दर्शाता है कि रोजगार योजनाओं ने गया जिले में महिला आर्थिक सहभागिता को मजबूत किया है।[9] वित्तीय प्रगति के आँकड़े भी कार्यक्रम के प्रभाव को दर्शाते हैं। 2021-22 में उपलब्ध 23,201.8 लाख रुपये में से 95.7 प्रतिशत राशि का उपयोग किया गया। 2022-23 और 2023-24 में निधि उपयोग की दर और बेहतर रही, जहाँ लगभग 98 प्रतिशत से अधिक राशि का उपयोग किया गया। इससे यह संकेत मिलता है कि जिले में रोजगार योजना के क्रियान्वयन और वित्तीय प्रबंधन में निरंतर सुधार हुआ है। स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की उपलब्धियों में रोजगार की बढ़ती माँग, महिला सहभागिता और वित्तीय उपयोग की उच्च दर को शामिल किया जा सकता है। वहीं सीमाओं के रूप में 100 दिनों का रोजगार बहुत कम परिवारों तक सीमित रहना, बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में रोजगार के अवसरों की अपर्याप्तता और कुछ सामाजिक समूहों तक योजनाओं की असमान पहुँच प्रमुख हैं।

5. निष्कर्ष

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि नया 20 सूत्री कार्यक्रम गया जिले में गरीबी उन्मूलन के प्रयासों के लिए एक व्यावहारिक और प्रभावशाली ढाँचा प्रदान करता है। कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार और आजीविका से जुड़ी पहलों ने बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सहारा दिया है, जिससे उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में सुधार हुआ है। रोजगार की आवश्यकता समय के साथ बढ़ी है और जिले के अधिक परिवार इस योजना पर निर्भर होते गए हैं। रोजगार की माँग में निरंतर वृद्धि यह दर्शाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्थायी आय के अवसर सीमित हैं और मनरेगा कई परिवारों के लिए एक आवश्यक आय स्रोत बन चुका है। इसके साथ ही, सृजित मानव-दिवसों की संख्या में वृद्धि यह संकेत देती है कि योजना ने रोजगार उपलब्ध कराने में अपनी भूमिका निभाई है।

अध्ययन से यह भी पता चलता है कि सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों की भागीदारी इस कार्यक्रम में उल्लेखनीय रही है। अनुसूचित जाति परिवारों की पर्याप्त हिस्सेदारी यह दर्शाती है कि योजना ने उन वर्गों तक पहुँच बनाई है, जिनके लिए रोजगार और आय सुरक्षा सबसे अधिक आवश्यक है। यह स्थिति योजना की समावेशी प्रकृति को रेखांकित करती है। हालाँकि रोजगार की कुल उपलब्धता में सुधार हुआ है, फिर भी यह स्पष्ट होता है कि सभी परिवारों को समान स्तर की रोजगार सुरक्षा नहीं मिल पाई है। 100 दिनों का रोजगार बहुत सीमित परिवारों तक ही सिमट कर रह गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि रोजगार की निरंतरता और स्थायित्व अभी भी एक चुनौती है। महिला सहभागिता के संदर्भ में अध्ययन से सकारात्मक संकेत प्राप्त होते हैं। रोजगार गतिविधियों में महिलाओं की मजबूत उपस्थिति यह दर्शाती है कि इस कार्यक्रम ने महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे न केवल घरेलू आय में सुधार हुआ है, बल्कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति और आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई है। वित्तीय प्रबंधन के विश्लेषण से यह सामने आता है कि जिले में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग काफी प्रभावी रहा है। निधियों के उच्च उपयोग स्तर से यह संकेत मिलता है कि योजना का क्रियान्वयन प्रशासनिक स्तर पर अपेक्षाकृत बेहतर ढंग से किया गया है। यह स्थिति कार्यक्रम की संचालन क्षमता को मजबूत बनाती है।

कुल मिलाकर, अध्ययन यह दर्शाता है कि नया 20 सूत्री कार्यक्रम गया जिले में गरीबी की तीव्रता को कम करने में सहायक रहा है। फिर भी बढ़ती जनसंख्या, सीमित गैर-कृषि रोजगार और रोजगार की असमान उपलब्धता जैसी समस्याएँ इस प्रक्रिया को धीमा करती हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि कार्यक्रम ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में सकारात्मक आधार तैयार किया है, लेकिन इसके दीर्घकालिक प्रभाव को मजबूत करने के लिए निरंतर सुधार और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हस्तक्षेप आवश्यक हैं।

6. सुझाव

क. मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार को अधिक परिवारों तक पहुँचाने के लिए कार्यों की योजना समय पर तैयार की जानी चाहिए, ताकि काम की उपलब्धता में अनावश्यक अंतर न रहे।

ख. मजदूरी भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए भुगतान प्रक्रिया को सरल और तकनीक-आधारित बनाया जाना आवश्यक है, जिससे श्रमिकों को समय पर पारिश्रमिक मिल सके।

ग. रोजगार कार्यों का चयन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना चाहिए, जैसे जल संरक्षण, तालाब निर्माण और भूमि सुधार, ताकि रोजगार के साथ-साथ स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हो सके।

घ. स्वयं सहायता समूहों को केवल ऋण उपलब्ध कराने तक सीमित न रखकर, उन्हें कौशल प्रशिक्षण और स्थानीय बाजार से जोड़ने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ङ. महिला श्रमिकों की अधिक भागीदारी को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कार्यस्थल पर बुनियादी सुविधाएँ और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

च. अनुसूचित जाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के लिए योजनाओं की जानकारी और पहुँच को बेहतर बनाने हेतु ग्राम स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

छ. जिला स्तर पर योजनाओं की निगरानी को मजबूत करने के लिए पंचायतों और स्थानीय संस्थाओं की भूमिका को और सक्रिय किया जाना चाहिए।

ज. रोजगार और आजीविका कार्यक्रमों से जुड़े आँकड़ों का नियमित संग्रह और विश्लेषण किया जाना चाहिए, ताकि योजनाओं में समय-समय पर आवश्यक सुधार किए जा सकें।

झ. मनरेगा और आजीविका कार्यक्रमों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि अल्पकालिक रोजगार को दीर्घकालिक आजीविका से जोड़ा जा सके।

ञ. बढ़ती जनसंख्या और सीमित रोजगार अवसरों को देखते हुए, गैर-कृषि क्षेत्र में छोटे उद्यमों और ग्रामीण स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

संदर्भ

1. योजना आयोग, भारत सरकार पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–79) : विकास रणनीति, गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक न्याय से संबंधित नीति दस्तावेज।
2. भारत सरकार 20 सूत्री कार्यक्रम (1975) : कार्यक्रम की रूपरेखा एवं उद्देश्य, नई दिल्ली
3. योजना आयोग, भारत सरकार छठी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना : रोजगार, न्यूनतम आवश्यकताओं एवं सामाजिक कल्याण से संबंधित नीतिगत प्रावधान।
4. योजना आयोग, भारत सरकार दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) : गरीबी उन्मूलन एवं समावेशी विकास की रणनीति।
5. ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार मनरेगा एवं DAY-NRLM से संबंधित जिला अभिलेख (गया जिला)।
6. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार नया 20 सूत्री कार्यक्रम अवधारणा, संरचना एवं निगरानी व्यवस्था से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन।
7. बिहार जनसंख्या प्रक्षेपण आँकड़े।
8. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, मनरेगा वार्षिक प्रतिवेदन।
9. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार नया 20 सूत्री कार्यक्रम (TPP-2006) के वार्षिक प्रतिवेदन।